

सेवा में,

समी जिला शिक्षा अधिकारी  
यादी क्रमांक : परीक्षा/2018/038

दिनांक 28-02-2018

**विषय:- राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2017 का अस्थाई परिणाम सौंपने बारे।**

उपरोक्त परीक्षा 19-11-2017 को राज्य के विभिन्न केन्द्रों पर सम्पन्न हुई थी। इस परीक्षा का प्रोविजनल परिणाम आपको e-mail द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ इसे हमारी Website : [www.scertharyana.in](http://www.scertharyana.in) पर भी Upload किया जा रहा है ताकि प्रोविजनल परिणाम की जांच करने में छात्रों तथा विद्यालयों का सहयोग मिल सके। जाँच तथा जानकारी निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर की जाए। दिनांक 15-03-2018 तक पूर्ण रूप से भर कर एस.सी.ई.आर.टी. गुडगाँव की परीक्षा शाखा की मेल आईडी [examwing3@gmail.com](mailto:examwing3@gmail.com) पर e-mail कर दे।

1. विद्यालय का udise Code (10 अंकों का) भरना है।

2. छात्र का नाम

3. कैंटेगरी जैसे 1. General 2. S.C. 3. B.C.A. 4. B.C.B. 5. P.H.

आरक्षित कैंटेगरी को प्रमाणित करने लिए सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया प्रमाण-पत्र अवश्य देखें।

4. मोबाईल नं० की जाँच, यदि नहीं है तो लिखना है।

5. छात्र का आवार नं० भरना है यदि नहीं है तो।

6. स्कूल का नाम (केवल सरकारी तथा Aided स्कूल)

नोट: इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय व केन्द्रीय विद्यालय शामिल न करें।

7. सातवीं कक्षा सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों से सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक/ समकक्ष ग्रेड तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक/समकक्ष ग्रेड लेकर उत्तीर्ण की हो।

8. माता-पिता दोनों की कुल आय सभी स्रोतों से 15,000/- रु० से कम होनी चाहिए।

9. बैंक का नाम भरना है।

10. बैंक का IFSC code भरना है।

11. छात्र का बैंक खाता नं० भरना है।

12. छात्र NMMS की छात्रवृत्ति के साथ अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं ले सकता।

हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवाई गई जानकारी, बच्चों द्वारा Online Application form में भरी गई जानकारी पर आधारित है। अतः आप इसके सत्यापन की जांच अवश्य करवा लें। यदि किसी छात्र की पात्रता में कोई कमी पाई जाती है तो उसका नाम सूचि में से रद्द करके हटा दिया जाएगा।

उपरोक्त सभी तरह की जाँच करने के बाद NMMS सूचि के अन्त में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अवश्य दें।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचि अनुसार सभी परीक्षार्थी कक्षा-8 (सत्र 2017-18) में सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं व इन्होंने पिछले वर्ष सातवीं कक्षा इन्ही विद्यालयों से सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक / समकक्ष ग्रेड तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण की है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखित प्रविष्टियों विद्यालय के रिकार्ड के अनुसार ठीक है तथा इनके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय एक लाख पचास हजार रुपये तक है तथा यह अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं।"

जिला परीक्षा समन्वयक (DSS)  
हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी  
हस्ताक्षर मोहर सहित

संलग्न:- अस्थाई परिणाम की सूचि, NSP की Instruction

नोट:- सूचि का प्रत्येक छात्र सुनिश्चित करे कि वह नौवीं कक्षा में दाखिला लेकर अपनी 8वीं कक्षा का Result तथा स्कूल का नाम अपने स्कूल मुख्या के माध्यम से अपने जिले के D.E.O. को सूचित कर देगा।

निदेशक

एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा,

गुरुग्राम

CC:- A copy is forwarded to the following for necessary action please.  
1. The Director, School Education Haryana, Panchkula.

State Council of Educational Research & Training, Haryana  
Gurugram -122001

**आवश्यक निर्देश**

1. आप अपना खाता नजदीक के स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वयं के नाम खुलवाकर अपने आधार संख्या का जुड़ाव बैंक खाता संख्या से करवा लें।
2. राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2018 के तहत छात्रवृत्ति का मुग्तान Digital India initiative के अन्तर्गत National Scholarship Portal के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिए सफल एवं अर्हताधारक छात्र/छात्राओं को National Scholarship Portal पर Visit कर Fresh Scholarship के लिए Registration करना होगा। विस्तृत दिशा-निर्देश भूख भाग पर मुद्रित है।
3. Registration के लिए Mobile No., Bank SB A/c No. एवं Aadhaar No. की आवश्यकता होगी। Portal पर Registration की प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त दिये गये मोबाइल नं० पर Logind ID एवं Password SMS के माध्यम से प्राप्त होगा।
4. Registration के पश्चात SMS द्वारा प्राप्त Password को National Scholarship Port पर Login कर नया Password बना लें तथा भविष्य में दुबारा Portal खालने के लिए इसे सुरक्षित लिख कर रख लें। उसके पश्चात पुनः Login कर Application भरने की प्रक्रिया शुरू की जाय। कृपया अपना गत वर्ष का अंक-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं विकलंगता आदि से सम्बन्धित दस्तावेज साथ रख लें।
5. Application में सभी वंछित सूचनाओं की यथा प्रवृष्टि किये जाने के बाद एक बार सभी सूचनाओं की जाँच करने के पश्चात ही Application Submit करें एवं Application की दो प्रतियो में Print out लें। जिसकी एक प्रति अपने वर्तमान विद्यालय के प्रधानाचार्य को सौंप दे एवं दूसरी प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें। कृपया Portal पर एक ही बार आवेदन किया जाय, एक बार से ज्यादा आवेदन किये जाने की स्थिति में आपका आवेदन Reject हो जायेगा।
6. छात्रों द्वारा Upload किया गया Application उनके अध्ययनरत विद्यालय के मुखिया द्वारा Verify किया जाना है। इस कार्य के लिए उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा User ID एवं Password उनके Registered मोबाइल नं० पर उपलब्ध कराया जायेगा यदि गत वर्ष नहीं लिया हुआ हो तो। जिसके माध्यम से National Scholarship Portal पर Login कर संबंधित छात्र/छात्राओं द्वारा Submit किये गये Application को Verify करना होगा।
7. Institution द्वारा Verify किये गये Application को परिषद द्वारा उपलब्ध कराये परीक्षाफल के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी सत्यापित करेंगे। इस कार्य के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परिषद द्वारा User ID एवं Password उपलब्ध करा दिया गया है।
8. अगले सत्र की छात्रवृत्ति (Renewal) हेतु सभी सफल एवं अर्हताधारक छात्र/छात्राओं को गत वर्ष (कक्षा IX ) के लिए प्रयुक्त User ID एवं Password के माध्यम से NSP (National Scholarship Portal) पर Renewal के लिए Apply करना होगा।
9. Renewal Application को भी पूर्व वर्ष की भाँति अध्ययनरत विद्यालय के मुखिया द्वारा Verify करना होगा।
10. विद्यालय द्वारा Verification के पश्चात् Uploaded Data जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर पूर्व की भाँति छात्रवृत्ति मुग्तान हेतु Upload किया जाना होगा।
11. किसी प्रकार की समस्या के लिए Portal पर दिये गये Helpline No./ D.E.O./SCERT पर संपर्क किया जा सकता है।

## Guidelines for Registration on National Scholarship Portal

### Welcome to National Scholarship Portal (NSP)

#### A. Fresh Students

Student applying for scholarship for the first time need to "Register" on the portal as fresh applicant by providing accurate and authenticated information as printed on their documents in "Student Registration Form."

Before initiating registration process, students are advised to keep their Educational and other documents such as Aadhaar number, Enrolment number, Bank passbook etc. in hand.

To help students, brief description of registration form fields is provided below:

- **1. State of Domicile** – Haryana- Students are required to provide their domicile state correctly as the "Application Id" allotted to them will be based on domicile state and once allotted it cannot be changed under any circumstances.  
This application Id will also be used as "Login Id" on the portal and for future references.
- **2. Scholarship Category**- NMMS scheme is divided in two major categories. Students needs to select the relevant category based on their class in which they are studying. These categories are detailed below:
  - 2.1 Pre- Matric Scholarship Scheme- This scholarship scheme is for students studying in Class 9<sup>th</sup> & 10<sup>th</sup>.
  - 2.2 Post- Matric Scholarship Scheme- This scholarship scheme is for student studying in Class 11<sup>th</sup> , 12<sup>th</sup>
- **3. Name of Student**- Provide name as printed in education certificates preferable school record for students applying for Post Matric,
- **4. Date of Birth (DOB)**- Provide date of birth as per their school record.
- **5. Mobile Number**- Provide correct and authenticated mobile number, as all the communications and authentications related to portal activities will be sent on this mobile number.  
In case of Post Matric, scholarship scheme one registration must be done with one mobile number.  
Whereas, for pre matric scholarship scheme, where students do not have mobile number they can provide their parents mobile number however, parents mobile can only be provided for two scholarship applications irrespective of number of children.
- **6. Email Id**- Provide correct and authenticated mobile number, as all the communications and authentications related to portal activities will be sent on their email Id.
- **7. Identification Details** – Select and provide the information in this field very wisely. There are three parameters provided to students for identification such as:
  - **7.1 Aadhaar Number**- In case students selects Aadhaar number as the identifier, they need to provide their Name and 12-digit Aadhaar number as printed on Aadhaar card. Students who are having Aadhaar number are advised to register with Aadhaar as preference will be given to Aadhaar seeded eligible students at time of scholarship disbursement. This will enable in directly crediting scholarship amount to student Aadhaar linked bank account through Aadhaar Payment Bridge (ABP) in fast track mode.
  - **7.2 Bank Account**- In case students selects bank account as identifier, provide Bank branch IFSC code, active bank account number and name of bank as printed on their bank passbook. Students also need to upload the copy of their bank passbook. Whereas, for pre matric scholarship scheme, where students do not have their own bank account number they can provide their parents account number however, parents account number can only be provided for two scholarship applications irrespective of number of children. In addition, when students uses bank account as identification they need to provide "Aadhaar Enrolments Id" and upload the scan copy of the same. However, when students receives their Aadhaar number they should update the same in the portal.

#### Important Note:

1. The login id and password to log into NSP portal will be your Application Id and DOB respectively. You are advised to mandatorily change your password at the time first login for security purposes.
2. Students are advised to submit only "One Application Form". In case if students submit more than one application form then all the applications submitted by students will be considered as "Duplicate" and will be "Rejected".

